निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 95/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हनुमान सहाय चन्देल पुत्र स्व. श्री सुवालाल चन्देल जाति खटीक निवासी ग्राम बस्सी तहसील जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

2 दिनेश पुत्र रामजीलाल रेगर

3 डालचन्द पुत्र रामजीलाल

4 श्रीमती भौरी पत्नी रामजीलाल (फौत)

समस्त जाति रेगर, निवासी तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 170/2005 ब उनवानी लक्ष्मी देवी बनाम दिनेश चन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 170/2005 ब उनवानी लक्ष्मी देवी बनाम दिनेश चन्द व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है।
3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का वाद डिकी होने के बाद प्रतिवादीगण ने दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते भूमि का बेचान कर दिया तथा इस भूमि के संबंध में प्रोपर्टी डीलर सुधीर चौधरी ने भू माफियों से इकरानामा करा दिया है तथा भू माफियों ने उक्त भूमि को जरिये इकारनामा खरीद लिया है तथा गृह निर्माण सहकारी समिति से मिलीभगत करके बेकडेट में आवासीय पट्टे काट रहे है तथा मनचाहे भाग पर कब्जा करने की बदमंशा के चलते निर्माण कार्य कर रहे है मौके पर विशिष्ट भू–

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

भाग पर कब्जा कर खसरा नम्बर 1380 की भी भूमि को प्रतिवादीगण अकेले हड़पा करने तथा प्रार्थीगण को उनके 1/2 हक व हिस्से से वंचित करने की गरज से तहसीलदार व पटवारी व गिरदावर से मिलीभगत कर बिना प्रार्थी की सहमति के आनन–फानन ही कुर्रेजात रिपोर्ट बनवा कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है तथा सुदीप चौधरी एवं गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में ले रखा है जिसके चलते पीठासीन अधिकारी मुकदमे में विशेष रूचि लेते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नकल के आवेदन पर नकल उपलब्ध नहीं करवा कर बहस हेतु सात दिवस की तारीख पेशी निश्चित कर दी । जिससे प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी उपरोक्त व्यक्तियों के प्रभाव में आकर प्रार्थीगण को कुर्रेजात रिपोर्ट की नकल भी उपलब्ध नहीं करा रहे तथा उन्हें किसी भी प्रकार का उज्र एतराज का अवसर दिए बिना ही प्रतिवादीगण द्वारा मनमाने रूप से बनाये गये कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का उनके हक व अधिकारों को विपरीत अवस्था के चलते अन्तिम निर्णय करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम बलवन्त सिंह 1984 RRD 511, सोहनलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-13 एवं गुरुलाभ बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी नवीसाजपुरा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर बनाम फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)